न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–66 / 17

1. मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ जाति मुसलमान निवासी सुरासर हाल चक 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 02.03.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 21 केजेडी का मु0नं0 24 / 20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24 / 28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड रकबा दिनांक 27.05.1974 को पुख्ता आंवटन हुआ था तथा उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जो प्रार्थी अनपढ होने कारण और आंवटन के समय फोटो पहचानपत्र दस्तावेज नहीं होने के कारण तथा बोलचाल की भाषा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉ पुत्र बहादुरसिंह के बजाय मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ दर्ज है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 07.01.2006 को प्रार्थी के नाम उक्त रकबा की खातेदारी सनद मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ के नाम से जारी कर दी गई थी। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों में मजीत खॉ पुत्र बहादुरखॉ के नाम से बने हुवे है। प्रार्थी ने चक 21 केजेडी का मु0नं0 24 / 20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24 / 28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ की जगह मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ दुरूस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये गये जिसमें प्रार्थी के छोटे भाई ने शपथपत्र पेश किया एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा आंवटन आवेदन पत्र, खातेदारी सनद पेश किये गए। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचाचत का प्रमाणपत्रत्र, मूल निवास, आधारकार्ड, परिचयपत्र, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ दर्ज है । ग्राम पंचायत करणीसर भाटियान ने बताया गांव सूरासर तहसील पूगल में मीरमन्द और मजीतखॉ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और इनसे मिलते–जुलते नाम का गांव सूरासर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। साथ ही प्रार्थी के छोटे भाई कमाल खॉ पुत्र बहादुर खॉ जाति मुसलमान निवासी सुरासर तहसील पूगल ने भी शपथपत्र पेश कर बताया कि मंजीतखॉ और मीरमन्द दोनो एक ही व्यक्ति मेरे बड़े भाई के नाम है और राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द की मंजीतखॉ कर दिया जाता है तो मुझे व मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ की जगह मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:36:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: